

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान :- कर्णसिंह बनाम दयानन्द

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा संख्या-21/2012(पुनः दर्ज 45/21)

निर्णय दिनांक : 05.07.2023

वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.07.2023 को श्रीमती सुप्रिया उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष राजीनामा के आधार पर निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। राजीनामे के आधार पर ग्राम दोरादास के हाल भूमि ख.न. 261/384 के नजरी नक्सा में दर्शित बिन्दु A,B,C,D स्थान को जमीन खसरा नं. 261 मौका सरहद दोरादास में शामिल किया जाकर उक्त A,B,C,D स्थान में जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल ख.नं. 261 में से उतरी सीमा के सहारे नजरी नक्सा में दर्शित लाल स्याही के स्थान को जमीन ख.नं. 261/384 मौजा सरहद दोरादास में शामिल कर नक्सा दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.07.2023 को जारी किया गया।

(सुप्रिया)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
मुन्झुनू (संकेत)

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|----------|---|-------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा | 2 120 | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक | 11 |
| योग | 122 | योग | 11 |

(सुप्रिया)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
मुन्झुनू (संकेत)